कार्यालय, महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांकःप्रशि0प्रको0/जी0एन0एम0/प्रशिक्षण/2023/1318 लखनऊ, दिनांक 16, जून, 2023

वर्ष 2023 में सामान्य उपचारिका (जी0एन0एम0) में 03 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 09 राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर उपलब्ध 453 रिक्त सीट पर आन-लाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट https://www.dgmhup.gov.in पर पोर्टल दिनांक 01.07.2023 से 31.07.2023 तक खोला जायेगा।

शैक्षिक अर्हतायेः-	• इन्टरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। • माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। अथवा 10 + 2 व्यवसायिक ए0एन0एम0 प्रशिक्षण (2001 के बाद संशोधित) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त तथा ए0एन0एम0 के रूप में उत्तर प्रदेश नर्स तथा धाती परिषद् में पंजीकृत हो। • अभ्यर्थी को इन्टरमीडिएट परीक्षा 10 + 2 अथवा समकक्ष परीक्षा में सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
आवेदन शुल्कः-	सामान्य वर्ग के लिये रू0 200/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये रू0 100/- निर्धारित है। आनलाईन आवेदन करते समय उक्त भुगतान आनलाईन माध्यम से दर्शाये गये राष्ट्रीयकृत बैंक के भुगतान लिंक के माध्यम से किया जायेगा।
आरक्षणः-	(1) 10 प्रतिशत सीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है। (2) शेष उपलब्ध सीटों में 15 प्रतिशत आरक्षण ए0एन0एम0 कार्मिकों को जिन्होने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में/एन0आर0एच0एम0/एन0एच0 एम0 के अन्तर्गत कम से कम 05 वर्ष निरन्तर कार्य किया हो। परन्तु यदि उपरोक्त 15 प्रतिशत के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नही है तो बची हुई अवशेष सीटों को सीधी भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग एव अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण शासनादेश मे निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। (3) उत्तर प्रदेश से बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नही दिया जायेगा।
आयु सीमाः-	31.12.2022 को 17 वर्ष से 35 वर्ष परन्तु अनुसूचित जाति/जन जाति और ऐसी अन्य श्रेणियां हेतु राज्य सरकार की लागू अधिकतम आयु की सीमा तक।
चयनः-	अभ्यर्थी के हाई स्कूल एव इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अको के प्रतिशत के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची (मेरिट) के अनुसार किया जायेगा।

सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त अनुदेश एवं निर्देशों के साथ विस्तृत जानकारियां विभागीय वेबसाईट https://www.dgmhup.gov.in पर उपलब्ध है।

(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

www.upgov.nic.in
Upid- 191258 Dt.16.06.2023

अमर उजाला - लखनऊ
दिनांक - 18.06.2023